प्रपत्र–6

"खाता दुरुस्ती आवेदन–पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

2022/212

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषयः– राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम काठीसल्या की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 71 में प्रार्थी का नाम भूरा पुत्र भूरा दर्ज है, तथा मुताबिक संलग्न प्रार्थी का नाम कालूलाल पुत्र भूरालाल है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांकः– 12/03/022

(.....)

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम काठीसल्या के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 71 में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र भूरा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आधार कार्ड व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम कालूलाल पुत्र भूरालाल है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

14/12/2021

भू0अ0नि0 [illegible]

पटवारी [illegible]

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का / पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी काठीसल्या व भू0अ0नि0 [illegible] एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम काठीसल्या की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 71 में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र भूरा के बजाय कालूलाल पुत्र भूरालाल किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

1/6/22

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

आदेश

136/22
1-6-22

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम काठीसल्या जमाबन्दी सम्वत् 2076-77 खाता संख्या 71 में दर्ज प्रार्थी का नाम कालू पुत्र भूरा के स्थान पर कालूलाल संशोधन के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा(भीलवाड़ा)